प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –342/2023
अनवान : –

1. धापा देवी पुत्री कनीराम पत्नी बलवन्तराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. मंजू देवी पुत्री कनीराम पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– **वादीयान**

बनाम्

1. कनीराम पुत्र सुल्तान राम जाति जाट निवासी ढंण्ढेला तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
3. महेश कुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
4. सन्तोष देवी पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
5. कृष्णा देवी पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीयान**

निर्णय **दिनांकः 26.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीयान ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 41/41 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 25/247 की कुल 17.6610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादीयागण व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीगण स0 2 व 3 जो की वादीयागण के भाई व बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीयान व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 [illegible] स0 41/41 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में वादीयान बहिब काबिज है [illegible] तहसील नोहर के खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

25/247 की कुल 17.6610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 यथावत काबिज है। वादीयान जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीयान ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादीयान के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीयान डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीयान के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीयान के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीयान का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 41/41 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 25/247 की कुल 17.6610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत ढंढेला द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादीयान एवं प्रतिवादी स0 1के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीयान डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादीयान के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीयान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

निर्णयात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीयान प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीयान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 41/41 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 25/247 की कुल 17.6610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –342/2023

अनवान : –

1. धापा देवी पुत्री कनीराम पत्नी बलवन्तराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. मंजू देवी पुत्री कनीराम पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादीयान

बनाम्

1. कनीराम पुत्र सुल्तान राम जाति जाट निवासी ढंण्ढेला तहसील नोहर।
2. रामकुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
3. महेश कुमार पुत्र कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
4. सन्तोष देवी पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
5. कृष्णा देवी पुत्री कनीराम जाति जाट निवासी ढंढेला तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 342 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीयान साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीयान डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 41/41 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीयान को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 25/247 की कुल 17.6610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली